झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

::अधिसूचना ::

जी0 एस0 आर0—————— झारखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम–7, 1991) की धारा–18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:–

क– यह झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग नियमावली, 2002 कहलायेगी ।

ख– इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।

ग– यह अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पदग्रहण की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ– इस नियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

क– "आयोग" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–4 के उपबंधों के अधीन गठित झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग,

ख– "सरकार" से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार,

ग– राज्य से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य,

घ– "धारा" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम–7, 1991) की धारा ।

3. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की हैसियत और परिलब्धियाँ:–

क– आयोग के अध्यक्ष की हैसियत झारखण्ड राज्य के मंत्री तथा उपाध्यक्ष की हैसियत राज्य मंत्री झारखण्ड की तरह होगा । उन्हें क्रमशः निम्नलिखित अनुमान्य सुविधाएँ देय होगी ।

(i) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को वेतनादि का भुगतान निम्नलिखित दर पर होगा:–

क्रमांक	मद	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
1	वेतन	3,000.00	3,000.00
2	क्षेत्रीय भत्ता	4,000.00	4,000.00
3	अतिथि भत्ता	1,000.00	500.00
	कुल =	8,000.00 रूपये	7,500.00 रूपये

प्रभारी भत्ता 350/– रूपये प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं 500/– रूपये प्रतिदिन राज्य के बाहर रहने पर देय होगा । वेतन एवं भत्ते पर देय आयकर का भुगतान आयोग द्वारा किया जायेगा ।

अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार एवं मुफ्त चिकित्सा परिचर्या और दवा की आपूर्ति तथा अस्पतालों में वास सुविधा में रियायत के हकदार होंगे, जिसके व्यय को अनुमान्यता के आधार पर आयोग वहन करेगा ।

ख– निजी कर्मचारी की अनुमान्यता:–

(i)–1 (एक) आप्त सचिव वाह्य व्यक्ति हो सकते हैं, जो कम–से–कम स्नातक उत्तीर्ण हो । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के इच्छानुसार (वेतनमान 6500/–रू0 प्रतिमाह नये वेतनमान के अनुसार आवास भत्ता एवं सरकार द्वारा समय–समय पर सरकारी कर्मियो को देय भत्ता अनुमान्य होगी) ।

(ii) –1 (एक) निजी सहायक सरकारी जो आयोग अथवा सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा ।

(iii) –1 (एक) चर्या लिपिक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष स्वेच्छा से नियुक्त कर सकते हैं ।

(iv) –3 (तीन) आदेशपाल अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष स्वेच्छा से नियुक्त कर सकते हैं ।

(v) –1 (एक) एक चालक दैनिक वेतनभोगी कर्मी के रूप मे संबधित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के इच्छा पर कार्यरत रहेंगे ।

सभी उपरोक्त निजी कर्मचारियों का वेतन भुगतान आयोग की निधि से वहन किया जायेगा ।

ग –(i) सरकार अथवा आयोग द्वारा गाड़ी दिये जाने पर 250लीटर पेट्रोल/ डीजल प्रति माह की दर से अन्यथा यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अपनी गाड़ी रखेंगे तो 1500/–रू0 प्रति माह सवारी भत्ता के रूप में आयोग भुगतान करेगा ।

रेल से यात्रा करने पर अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में दो बर्थ की अनुमान्यता होगी । वायुयान द्वारा यात्रा करने पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को उच्चतम श्रेणी का मात्र एक टिकट अनुमान्य होगा । उनके अटेन्डेन्ट को रेल अथवा सड़क मार्ग से यात्रा करने की अनुमान्यता होगी ।

घ– अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कार्यालय एवं आवास के लिए एक–एक एस0 टी0 डी0 सुविधा युक्त टेलिफोन दिया जायेगा ।

ङ– (i) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के अनुमान्य सुविधाओं पर जो भी वित्तीय भार होगा उसका सूत्रण कल्याण विभाग द्वारा आयोग से संबंधित बजट उपबंध में किया जायेगा ।

(ii) आयोग के वैसे सदस्य, जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, वे झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 2001 (अधिनियम सं0–3, 2001) देय दर के अनुसार यात्रा व्यय और दैनिक भत्ता के भुगतान के हकदार होंगे । इसके अन्तर्गत देय सुविधा प्राप्त होने पर इन्हीं मदों में सदस्य को अलग से प्राप्त होनेवाली सुविधा देय नहीं होगी ।

(iii) आयोग के वैसे सदस्य जो विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं, वे राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को यात्रा भत्ता नियमों के अधीन देय यात्रा भत्ता और विश्राम भत्ता के हकदार होंगे ।

4. संचिका सं0–अ0 आ0 300/2001

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(यू0 के0 संगमा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक— सं0—अ0 आ0 300/2001—1080—/दिनांक—17— जून, 2002 ई0.

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशणार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अधिसूचना की 500 प्रति मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

(यू0 के0 संगमा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक— सं0—अ0 आ0 300/2001—1080—/दिनांक—17— जून, 2002 ई0.

प्रतिलिपि:— महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/माननीय मंत्री कल्याण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधिक्षक एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(यू0 के0 संगमा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक— सं0—अ0 आ0 300/2001—1080—/दिनांक—17— जून, 2002 ई0.

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(यू0 के0 संगमा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक— सं0—अ0 आ0 300/2001—1080—/दिनांक—17— जून, 2002 ई0.

प्रतिलिपि:— झारखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(यू0 के0 संगमा)
सरकार के सचिव ।

Notification